उक्त विवादित आराजी का कब्जा मन्दिर मूर्ति के हक मे मन्दिर व्यवस्थापक को सम्भला दिया गया। किन्तु प्रतिवादी स.1 पुनः कब्जा करने व जान से मारने की धमकी देता है. तथा काश्त करने मे बाधा उत्पन्न की जा रही है और अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी स.1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करमाया जावे।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की बहस एक पक्षीय सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज डिक्री दिनांक 22-11-2013 प्रदर्श1, भू.अ.नि. की रिपोर्ट प्रदर्श2, दखलनामा प्रदर्श3 के अवलोकन से वाद-पत्र मे अंकित तथ्यो की पुष्टि होती है।

चूंकि मन्दिर मूर्ति अल्पवयस्क है हित पोषण मे सक्षम नही है इसलिए व्यवस्थापक को मन्दिर मूर्ति की देखभाल व अन्य व्यवस्था के लिए उसके नाम दर्ज सम्पत्तियो को सरक्षित करने की कार्यवाही का अधिकार है. तथा न्यायालय द्वारा से प्रतिवादी के विरुद्ध पूर्व में मु.स. 4/दावा/2012 मे बेदखली का निर्णय हो चुका है तत्पश्चात भी प्रतिवादी कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी कर रहा है।

चूंकि उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम रकसपुरा के खसरा स. 15 रकबा 0.85 हैक्टर मन्दिर श्री कृष्णगोपालजी विराजमान बजरिये व्यवस्थापक जागीरदार शिवनन्दनसिंह बजरिये दर्ज है। शिवनन्दन सिंह की मृत्यु हो चुकी है. उनके पुत्र ने हितैषी के रूप में दावा प्रस्तुत किया गया। मन्दिर मूर्ति अल्पवयस्क है स्वयं के हित का सरक्षण नहीं कर सकता इसलिए व्यवस्थापक व

22-7-22 पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक की एक तरफा बहस वाद-पत्र सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से पत्रावली पर लिखा जा रहा है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

निर्णय

22-7-22 वादी ने व्यवस्थापक द्वारा वाद-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खसरा सं. 95 रकबा 0.85 हैक्टर कृषि भूमि ग्राम रूसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है उक्त विवादित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री कृष्ण गोपाल जी विराजमान बलवन के नाम दर्ज है वर्णित विवादित आराजी को प्रतिवादी सं. 1 ने ज्वारा काश्त पर लेकर कब्जा कर लिया था वाद दायरी के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 22-11-2013 को आदेश पारित कर प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल करने की डिक्री पारित की निर्णय की पालना में तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा दिनांक 23-6-2014 को मौके पर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

व हितैषी को उनके हित को सरक्षित करने का अधिकार है। प्रतिवादी के विरुद्ध बेदखली का निर्णय हो चुका है। इसलिए दावा स्वीकार किया जाता है

एवं प्रतिवादी स.1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि व विवादित आराजी खसरा स. 95 रकबा 0.15 हैक्टर वाके ग्राम रूकसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

AD डिगरी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री युगान्तर शर्मा R.A.S.

1 मन्दिर मूर्ति श्री कृष्णगोपालजी विराजमान बलवन जरिये हितैषी जागीरदार महाराजा विजेन्द्रसिंह पुत्र श्री रघुनन्दनसिंह राजपूत निवासी बलवन तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी (वादी) बनाम 1. मोरपाल पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम रूसपुरा तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी 2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ बू[ंदी]

दावा बाबत 188 RTA.

मुकदमा नम्बर 31/दावा/17 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री दिनेश शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का दावा आज्ञप्ति डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं.1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा संख्या 95 रकबा 0.85 हैक्टर ग्राम रूसपुरा में स्थित कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

निज............ मुबलिग............ बाबत............ खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह............ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक............ का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22-7-22 माह............ सन............ को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।